

द्वारा:- रजिस्टर्ड पोस्ट/पावती  
 संदर्भ संख्या: प.क्ष.पा.प्र.-1/सी.पी.आई.ओ/135

दिनांक: 22.09.2022

 सेवा में,  
 श्री विजय श्रीधरराव सुपारे,  
 मु. +पोस्ट – आरमोरी, तुकड़ोजी चौक  
 ता. आरमोरी, जि. गडचिरोली, पिन कोड : 441208, मो नं – 9422123742

**विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी।**  
 महोदय,


आपका पत्र दि. 29.08.2022, जो इस कार्यालय में दिनांक: 07.09.2022 को प्राप्त हुआ है, आरटीआई आवेदन द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.	चाही गयी जानकारी	जवाब
1.	आपलाय विनंती करण्णात येते की वायगाव (नि) ता. जि – वर्धा येथील भु क्र 209 मधील शेतीमध्य काही वर्षा पूर्वी टावर व मैन लाईन तकन्यात आली. टावर व शेतातुन गेलेल्या मेन लाईच्या मोबादला करीता शेतमालक्याने जे कागत पत्रे उदा शपथ पत्रे सादर केले ते व दिलेल्या मोबादला चे (मिलालेल्या) शेत मालक्या ऐकुन मिलालेल्या मोबादलाचे चेक ची साक्षांकित प्रत अतिशिघ्र देण्यात यावे।	आपके आरटीआई आवेदन में मांगी जाने वाली जानकारी स्पष्ट नहीं है जैसे की लाईन का नाम, टावर क्रमांक व समय अवधि इत्यादि। आपके द्वारा अन्य किसानो से संबंधित मुआवजे की जानकारी की मांग की गई है, जिसमें किसी भी सार्वजनिक हित का खुलासा नहीं किया गया है एवं यह जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है और जानकारी प्रदान करने के लिए उनकी सहमति हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 (1) (j) के प्रावधानों के अनुसार आपको तीसरे पक्ष के संबंध में जानकारी पावरग्रिड द्वारा नहीं दी जा रही है।

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई अपील करना हो तो उसे पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।

**अपीलीय अधिकारी का पता-**

 श्री. एस.रविंदर कुमार, कार्यपालक निदेशक प.क्ष.-1  
 पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
 पश्चिम क्षेत्र-1, सम्प्रीति नगर, नारीरिंग रोड,  
 पोस्ट -उप्पलवाडीनागपुर – 440026  
 दूरध्वनीक्रमांक-0712-2641470

  
 (पंकज दलाल)

 जन सूचना अधिकारी  
 पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर  
 दूरध्वनीक्रमांक 0712- 2641484  
 ईमेल : [pankajdalal@powergridindia.com](mailto:pankajdalal@powergridindia.com)
**प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:**

1) कार्यपालक निदेशक पश्चिम क्षेत्र -1